मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011 (म.प्र.)

// कार्यालयीन आदेश // 04 18/02/15

म0 प्र0 गृह निर्माण के आदेश कमांक 41 दिनांक 23/01/2015 के द्वारा मण्डल के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को म0 प्र0 (गृह) शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना कमांक सी–5–1–2013 –3 (एक) भोपाल दिनांक 30/05/2013 के द्वारा अधिसूचित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्ते) नियम 2013 को यथावत अंगीकृत रखने की स्वीकृति प्रदान की है। इसे लागू करने के निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की जाती है :–

(1) पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अधीन सदस्य बन कर पेंशन का लाभ का उपयोग कर सकेगा।

(2) पेंशन नियम का सदस्य बनने पर 10% प्रतिशत के बराबर अंशदान उसकी मजदूरी (विशेष भत्ता छोड़कर) से कटोत्रा किया जावेगा, व **इतनी ही राशि मण्डल द्वारा अंशदान की जावेगी एवं दैनिक वेतन कर्मचारी के स्थायी खाते में जमा किया जावेगा।**

(3) राष्टीय पेंशन स्कीम का सदस्य बनने के लिये संलग्न फार्म में आवेदन प्रस्तुत करना होगा फार्म प्राप्त होने पर नियंत्रणकर्ता अधिकारी को अंशदायी पेंशन योजना 2005 में निर्धारित फार्मो में सम्पूर्ण जानकारी तैयार कर स्थाई खाता संख्या प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं लेखा अधिकारी अंशदायी पेंशन को प्रकरण प्रेषित करेंगे।

(4) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जिनका राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम का कटौत्रा किया जाना है, मजदूरी के देयक पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक देयक (FUlly Vouched Contingent Bill) पर पृथक से तैयार कर लेखा शाखा पेंशन में प्रस्तुत किये जायेगे। पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक देयक के साथ **प्रपत्र–'ब'** में जानकारी भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। प्रपत्र **"ब"** के "देयक का संक्षिप्त विवरण" के कालम अ, ब, स, द, य. की जानकारी पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक देयक पर अंकित की जानी होगी।

(5) लेखा अधिकारी द्वारा आहरित अंशदान एवं शासकीय अंशदान की राशि संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल को इस हेतु खोले गये पृथक बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। इसके अलावा लेखा अधिकारी द्वारा अंशदान की राशियों से संबंधित डेटा (Subscriber Contribution File) संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल को प्रेषित की जायेगी। संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल द्वारा अंशदान की राशि ट्रस्टी बैंक को (RTGS/NEFT) के माध्यम से) प्रेषित की जायेगी तथा (SCF) नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेब साईट पर लोड किया जायेगा।

(6) पेंशन फण्ड नियमाक एवं विकास प्राधिकरण के समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे व प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।

(7) यह योजना फरवरी 2015 से मण्डल के दैनिक वेतन कर्मचारियों पर अनिवार्यतः प्रभावशील होगी।

निरंतर–2 पर

(8) अंशदान की गणना कर्मचारी के नियत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा किया जाकर (रूपये 10 के पूर्णाक में (ROUNDUP) वेतन देयक के साथ राशि की कटौत्री कर मण्डल के अंशदान के साथ मुख्यालय पेंशन शाखा को प्रतिमाह लेखा भेजेंगे।

(9) **अधिवार्षिकी आयु पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अंशदान के लिए हकदार होगा। कर्मचारी को रूपये 1,00,000/–(रू0 एक लाख) से अनधिक की राशि का मण्डल के अंशदान के रूप में भुगतान किया जावेगा, जो उसकी पन्द्रह दिन की मजदूरी के आधार पर संगणित की जाएगी।** परन्तु मण्डल के अंशदान की राशि में म0 प्र0 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा शर्ते) नियम 2013 के नियम 5 के उप निययम (2) में यथा विहित विशेष भत्ते की राशि सम्मिलित नहीं है। परन्तु जो कर्मचारी नियम 10 उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन हटाये गए हैं, मण्डल अंशदान की राशि के लिए हकदार नहीं होगे।

(10) उक्त बिन्दु कमांक 09 के लागू होने से पूर्व में जारी आयुक्त महोदय के आदेश कमांक 187 दिनांक 31/03/2012 स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।

उपरोक्तानुसार मण्डल के समस्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी माह फरवरी 2015 के से कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मुख्य लेखा अधिकारी
म. प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल, भोपाल

कमांक 634/लेखा शाखा/स्थापना/बोर्ड/2015 भोपाल दिनांक 18/02/2015

प्रतिलिपि

1. निज सचिव, आयुक्त म0 प्र0. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, मुख्यालय भोपाल!
2. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी म0 प्र0. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, मुख्यालय भोपाल।
3. अपर आयुक्त (एम)/(डी) मुख्य संपदा अधिकारी, मुख्य अंकेक्षण अधिकारी, मुख्य विधि सलाहकार , मुख्य वास्तुविद, भू–अर्जन अधिकारी, लेखा अधिकारी (देयक /निधि/[illegible]/पेंशन/सी.पी.एफ, [illegible]), शाखा अधिकारी (एम.एम.), म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल भोपाल की ओर आवश्यक कर्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. उपायुक्त/लेखा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, वृत्त–1, 2, 3, विद्युत, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा ।
5. कार्यपालन यंत्री म0 प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभागः– 1, 2, 3, 4, 5, 6 विद्युत संभाग भोपाल/सागर/परि. सागर/होशंगाबाद/ इंदौर/परियोजना संभाग – इन्दौर /धार/विघुत संभाग–इन्दौर/ खण्डवा / उज्जैन /रतलाम / संभाग –1 , जबलपुर/संभाग–2,जबलपुर/विधुत संभाग–जबलपुर/कटनी/ छिंदवाड़ा / बालाधाट / संभाग –1 ग्वालियर /संभाग–2 ग्वालियर / गुना / मुरैना / संभाग –केन्द्रीय विद्यालय ग्वालियर /संभाग – पुर्नधनत्वीकरण, ग्वालियर /संभाग–रीवा/संभाग–सीधी/संभाग– सतना /संभाग – छतरपुर /संभाग–शहडोल
6. संपत्ति अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डलप्रक्षेत्र – भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा,संभागः– 1, 2, 3, 4, 5, 6 भोपाल/सागर/परि. सागर / होशंगाबाद/इंदौर/परियोजना संभाग –इन्दौर / धार / खण्डवा/उज्जैन/रतलाम/ संभाग–1,जबलपुर/संभाग–2,जबलपुर/विधुत संभाग– जबलपुर / कटनी/ छिंदवाड़ा / बालाधाट/संभाग–1 ग्वालियर/ संभाग –2 /ग्वालियर / गुना / मुरैना / संभाग–केन्द्रीयविद्यालयग्वालियर/संभाग–पुर्नधनत्वीकरण–ग्वालियर / संभाग – रीवा / संभाग –सीधी संभाग–सतना/संभाग–छतरपुर/संभाग–शहडोल

मुख्य लेखा अधिकारी
म. प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल, भोपाल